

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एम्

क्र० न० - 84/2019

निवाण :-

1. अमरचंद
2. गोपीराम
3. मानसिंह

पि० हरफूल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।



:-वादीगण

बनाम

1. उम्मेदसिंह वल्द विद्यादेवी जाति जाट निवासी भिरानी हाल विराण तहसील भादरा।
2. भागीरथ वल्द विद्यादेवी जाति जाट निवासी भिरानी हाल विराण तहसील भादरा।
3. शेरसिंह } पि० अमरसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
4. प्रतापसिंह }
5. सुल्तानसिंह } पि० मुन्शीराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
6. बलवानसिंह }
7. संतोष पुत्री मुन्शीराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
8. रामचंद्र पुत्र उदा जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री बलवंतसिंह उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक 8 जेएसएल के खाता सं० 4/3 के मु० न० 102 के किला न० 16 ता 19, 22 ता 25, मु० न० 103 किला न० 19 ता 22, मु० न० 121 किला न० 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु० न० 142 किला न० 3, 4 कुल 7.1870है० जिसमें नहरी 2.8600है०, बारानी 4.2620है०, गै० मु० रास्ता 0.0650है० खातेदारी कृषि भूमि व रोही मौजा भिरानी के खाता सं० 6/5 के मु० न० 507 किला न० 1, 2, 9 ता 12, 18 ता 23 कुल 2.4670है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त मुश्तर्फा की कृषि भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

भिरानी

उम्मेदसिंह पुत्र विद्यादेवी 2/3 हिस्सा, भागीरथ पुत्र विद्यादेवी 1/3 हिस्सा जाति जाट साकिन भिरानी खातेदार:- मु० न० 507 किला न० 1 की 0.253है०, किला न० 2 की 0.253है० जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, किला न० 9 की 0.253है० जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, किला न० 10 की 0.253है०, किला न० 11 की 0.026है०, किला न० 12 की 0.026है०,



कुल रकबा 1.064है० जिसमें बारानी 1.038है०, गै० मु० रास्ता 0.026है०,

शेरसिंह, प्रतापसिंह पि० अमरसिंह 1/3 हिस्सा, सुल्तानसिंह, बलवानसिंह पि० मुन्शीराम 1/3 हिस्सा, रामचंद्र पुत्र उदा 1/3 हिस्सा जाति जाट साकिन भिरानी खातेदार:- मु० न० 507 किला न० 11 की



0.227है०, किला न० 12 की 0.227है० किला न० 18 ता 20 0.759है०, किला न० 21 की 0.101है०, किला न० 22 की 0.076है०, किला न० 23 की 0.013है०

कुल रकबा 1.403है० बारानी।

चक 8 जेएसएल

शेरसिंह, प्रतापसिंह पि० अमरसिंह 1/3 हिस्सा, सुल्तानसिंह, बलवानसिंह पि० मुंषीराम 1/3 हिस्सा, रामचंद्र पुत्र उदा 1/3 हिस्सा जाति जाट साकिन भिरानी खातेदार:- मु० न० 102 किला न० 16 ता 19 की 1.012है० नहरी, किला न० 22, 23, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.228है० नहरी, मु० न० 103 के किला न० 19 की 0.253है० जिसमें नहरी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, किला न० 20 की 0.253है० नहरी, किला न० 21 की 0.228है० नहरी, किला न० 22 की 0.228है० नहरी, जिसमें नहरी 0.215है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, मु० न० 121 किला न० 23 की 0.253है० बारानी, मु० न० 142 किला न० 3 व 4 की 0.506है० बारानी,

कुल रकबा 3.645है० जिसमें नहरी 2.860है०, बारानी 0.759है०, गै० मु० रास्ता 0.039है०

अमरचंद पुत्र हरफूल, गोपीराम, मानसिंह पि० हरफूल जाति जाट साकिन भिरानी खातेदार:- मु० न० 121 किला न० 3 की 0.253है०, जिसमें बारानी 0.227है०, गै० मु० रास्ता 0.026है०, किला न० 4 की 0.253है०, जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, किला न० 5 की 0.253है०, जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, 6 ता 7 की 0.506है० बारानी, किला न० 14 ता 15 की 0.506है० बारानी, किला न० 8 की 0.253है०, जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, किला न० 13 की 0.253है०, जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०

कुल रकबा 2.277है० जिसमें बारानी 2.238है०, गै० मु० रास्ता 0.039है०,

उम्मेदसिंह पुत्र विद्यादेवी 2/3 हिस्सा, भागीरथ पुत्र विद्यादेवी 1/3 हिस्सा जाति जाट साकिन भिरानी खातेदार:- मु० न० 121 किला न० 16 ता 17 की 0.506है० बारानी, किला न० 18 की 0.253है० जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, किला न० 24 व 25 की 0.506है० बारानी

कुल रकबा 1.265है० जिसमें बारानी 1.252है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/10/22... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से



(शकुंतला चौधरी)  
अधीकारी (राजस्व), R.A.S.  
भादरा (जिल्हा न्यायालय)  
उपखण्ड अधीकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० - 84/2019

अनवान :-

1. अमरचंद
  2. गोपीराम
  3. मानसिंह
- पि० हरफूल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।



:-वादीगण

बनाम

1. उम्मेदसिंह वल्द विद्यादेवी जाति जाट निवासी भिरानी हाल बिराण तहसील भादरा।
  2. भागीरथ वल्द विद्यादेवी जाति जाट निवासी भिरानी हाल बिराण तहसील भादरा।
  3. शेरसिंह
  4. प्रतापसिंह
  5. सुल्तानसिंह
  6. बलवानसिंह
  7. संतोष पुत्री मुंशीराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
  8. रामचंद्र पुत्र उदा जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
  9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
- पि० अमरसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
- पि० मुन्शीराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री बलवंतसिंह वादीगण

निर्णय

दिनांक: 20/10/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 जेएसएल के खाता सं० 4/3 के मु० न० 102 के किला न० 16 ता 19, 22 ता 25, मु० न० 103 किला न० 19 ता 22, मु० न० 121 किला न० 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु० न० 142 किला न० 3, 4 कुल 7.1870 है० जिसमें नहरी 2.8600 है०, बारानी 4.2620 है०, गै० मु० रास्ता 0.0650 है० खातेदारी कृषि भूमि व रोही मौजा भिरानी के खाता सं० 6/5 के मु० न० 507 किला न० 1, 2, 9 ता 12, 18 ता 23 कुल 2.4670 है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त मुश्तर्का की कृषि भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही न्याय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 ता 6 व 8 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए ईकबालदावा पेश किया जो शामिल मिसल है व प्रतिवादी सं० 7 ने उपस्थिति दर्ज करवाई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे व प्रतिवादी सं० 8 संतोष ने दौराने दावा अपने हक व हिस्सा की भूमि जरिये दस्तरबर्दारी दिनांक 08.04.2021 को उप पंजीयक भादरा के रामक्ष अपने भाईयों प्रतिवादी सं० 5 व 6 सुलतानसिंह व बलवानसिंह के पक्ष में हक त्याग कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 8 जेएसएल के खाता सं० 4/3 के मु० न० 102 के किला न० 16 ता 19, 22 ता 25, मु० न० 103 किला न० 19 ता 22, मु० न० 121 किला न० 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु० न० 142 किला न० 3, 4 कुल 7.1870है० जिसमें नहरी 2.8600है०, बारानी 4.2620है०, गै० मु० रास्ता 0.0650है० खातेदारी कृषि भूमि व रोही मौजा भिरानी के खाता सं० 6/5 के मु० न० 507 किला न० 1, 2, 9 ता 12, 18 ता 23 कुल 2.4670है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त मुश्तर्फा की कृषि भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

### भिरानी

उम्मेदसिंह पुत्र विद्यादेवी 2/3 हिस्सा, भागीरथ पुत्र विद्यादेवी 1/3 हिस्सा जाति जाट साकिन भिरानी खातेदारः— मु० न० 507 किला न० 1 की 0.253है०, किला न० 2 की 0.253है० जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, किला न० 9 की 0.253है० जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, किला न० 10 की 0.253है०, किला न० 11 की 0.026है०, किला न० 12 की 0.026है०,

कुल रकबा 1.064है० जिसमें बारानी 1.038है०, गै० मु० रास्ता 0.026है०,

शेरसिंह, प्रतापसिंह पि० अमरसिंह 1/3 हिस्सा, सुलतानसिंह, बलवानसिंह पि० मुंषीराम 1/3 हिस्सा, रामचंद्र पुत्र उदा 1/3 हिस्सा जाति जाट साकिन भिरानी खातेदारः— मु० न० 507 किला न० 11 की 0.227है०, किला न० 12 की 0.227है० किला न० 18 ता 20 0.759है०, किला न० 21 की 0.101है०, किला न० 22 की 0.076है०, किला न० 23 की 0.013है०

कुल रकबा 1.403है० बारानी।

### चक 8 जेएसएल

शेरसिंह, प्रतापसिंह पि० अमरसिंह 1/3 हिस्सा, सुलतानसिंह, बलवानसिंह पि० मुंषीराम 1/3 हिस्सा, रामचंद्र पुत्र उदा 1/3 हिस्सा जाति जाट साकिन भिरानी खातेदारः— मु० न० 102 किला न० 16 ता 19 की 1.012है० नहरी, किला न० 22, 23, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.228है० नहरी, मु० न० 103 के किला न० 19 की 0.253है० जिसमें नहरी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, किला न० 20 की 0.253है० नहरी, किला न० 21 की 0.228है० नहरी, किला न० 22 की 0.228है० नहरी, जिसमें नहरी 0.215है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, मु० न० 121 किला न० 23 की 0.253है० बारानी, मु० न० 142 किला न० 3 व 4 की 0.506है० बारानी,

कुल रकबा 3.645है० जिसमें नहरी 2.860है०, बारानी 0.759है०, गै० मु० रास्ता 0.039है०

उपस्थानकारी (जिला-खमरचंद) भागा (जिला-खमरचंद) पुत्र हरफूल, गोपीराम, मानसिंह पि० हरफूल जाति जाट साकिन भिरानी खातेदारः— मु० न० 121 किला न० 3 की 0.253है०, जिसमें बारानी 0.227है०, गै० मु० रास्ता 0.026है०, किला न० 4 की 0.253है०, जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, किला न० 5 की 0.253है०, जिसमें बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है०, 6 ता 7 की 0.506है० बारानी, किला न० 14 ता 15 की 0.506है०

बारानी, किला न० ८ की ०.२५३ है०, जिसमें बारानी ०.२४० है०, गै० मु० रास्ता ०.०१३ है०, किला न० १३ की ०.२५३ है०, जिसमें बारानी ०.२४० है०, गै० मु० रास्ता ०.०१३ है०

कुल रकबा २.२७७ है० जिसमें बारानी २.२३८ है०, गै० मु० रास्ता ०.०३९ है०,


उम्मेदसिंह पुत्र विद्यादेवी २/३ हिस्सा, भागीरथ पुत्र विद्यादेवी १/३ हिस्सा जाति जाट साकिन मिरानी  
खातेदार:- मु० न० १२१ किला न० १६ ता १७ की ०.५०६ है० बारानी, किला न० १८ की ०.२५३ है० जिसमें  
बारानी ०.२४० है०, गै० मु० रास्ता ०.०१३ है०, किला न० २४ व २५ की ०.५०६ है० बारानी

कुल रकबा १.२६५ है० जिसमें बारानी १.२५२ है०, गै० मु० रास्ता ०.०१३ है०

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में  
अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक  
के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी  
जारी हो।

निर्णय आज दिनांक २०/१०/२२ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(सुकान्तला चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भदरा जिला-हनुमानगढ़